पत्र सूचना कार्यालय

*****

पत्रकारों व प्रेस कैमरामैनों को सरकारी आवास के आबंटन के लिए दिशा निर्देश ।

1. प्रेस पूल से आवास का आबंटन सूचना व प्रसारण मंत्रालय द्वारा गठित छानबीन समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद होगा । इस समिति के अध्यक्ष महानिदेशक (मी.एवं सं.) होंगे तथा शहरी विकास व गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के संयुक्त/अपर सचिव तथा सम्पदा निदेशक इसके पदेन सदस्य होंगे और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा चार पत्रकार इसके सदस्य के रूप में नामित किए जाएंगे ।

2. छानबीन समिति की कार्य अवधि इसकी पहली बैठक की तारीख से 2 वर्न की होगी और प्रत्येक 2 वर्न पश्चात इसका पुनर्गठन किया जाएगा । पदेन सदस्यों के अतिरिक्त कोई भी अन्य सदस्य दो टर्म से ज्यादा लगातार सदस्य नहीं रह सकता ।

3. प्रेस पूल में 100 आवास होंगे ।

4. प्रेस पूल से सरकारी आवास के आबंटन के उद्देश्य से पत्रकारों/प्रेस कैमरामैनों को दो भागों में बांटा गया हैः-

(1) वे पत्रकार जो 10 हजार रूपए (यात्रा भत्ता को छोड़कर) प्रतिमाह मासिक परिलब्धियां आहरित करते हैं- वर्ग-I, और

(2) वे पत्रकार जो 10,001/-रूपए से 20,000/-रूपए (यात्रा भत्ते को छोड़कर) मासिक परिलब्धियां आहरित करते हैं- वर्ग-II

(3) वे पत्रकार जो दस हजार रूपए तक परिलब्धियां आहरित कर रहे हैं उन्हें टाईप-IV आवास तथा जो पत्रकार 10,001/- से 20,000/-रूपए तक परिलब्धियां आहरित करते हैं, उन्हें टाईप-IV विशेन आंबटित किया जाएगा ।

5. आबंटन की अवधि वर्ग-I के लिए 5 वर्न और वर्ग-II के लिए 3 वर्न होगी ।

6. पत्रकारों/प्रेस कैमरामैनों को सरकारी आवास की सुविधा 5 वर्न के लिए होगी । तत्पश्चात इसे चरणबद्ध ढंग से समाप्त कर दिया जाएगा ।

7. सूचना व प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रेस पत्रकारों/समाचार कैमरामैनों के प्रत्यायन की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी तथा ऐसी समीक्षा के परिणामों से सम्पदा निदेशालय को सूचित किया जाएगा ताकि वह आबंटन निरस्त कर सके । अनधिकृत पत्रकारों को परिसर खाली करने के लिए 6 महीने का समय दिया जाएगा जिसके लिए प्रथम 2 महीने का सामान्य किराया एवं शेन 4 महीनों के लिए किराये का दुगुना भुगतान करना होगा । यदि कोई व्यक्ति, नियमों में बदलाव के चलते आवास के लिए अयोग्य

हो जाता है, तो आवास को 6 महीने तक रखने की अनुमति दी जाएगी, जिसमें 4 महीने का सामान्य किराया तथा 2 महीने का दुगुना किराया देना होगा । मृत्यु होने की स्थिति में मृत आबंटी के परिवार को सामान्य लाइसेन्स फीस के भुगतान पर 6 महीने तक आवास को रखने की छूट दी जाएगी ।

8. केवल वे पत्रकार/प्रेस कैमरामैन, जिनके पास रा-ट्रीय राजधानी क्षेत्र में , जिसमें दिल्ली के अतिरिक्त गाजियाबाद,नोएडा,गुडगांव,फरीदाबाद,बहादुरगढ़ और साहिबाबाद की नगरपालिका सीमाएं भी शामिल हैं, मालिक के तौर पर या पावर आफ अटार्नी के धारक के तौर पर उनके नाम या परिवार के सदस्यों के नाम या किसी निर्भर व्यक्ति के नाम पर घर या फ्लैट नहीं है, वे प्रेस पूल से आवास के आबंटन के लिए पात्र होंगे । आवेदन/आबंटन की पांच व-र्ा की अवधि के अन्दर स्वामित्व का किसी भी प्रकार का हस्तान्तरण होने से, आवेदक अपात्र हो जाएगा । आवास आंबटित होने के उपरान्त यदि कोई पत्रकार रा-ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्वयं के नाम या परिवार के सदस्य के नाम या स्वयं पर निर्भर व्यक्ति के नाम पर मालिक के तौर पर या पावर ऑफ अटार्नी के धारक के तौर पर घर प्राप्त कर लेता है तो वह सरकारी आवास रखने के लिए अपात्र हो जाएगा ।

9. कोई भी पत्रकार पत्र सूचना कार्यालय,भारत सरकार के प्रत्यायन के बिना सरकारी आवास प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा । जो पत्रकार भारत के नागरिक नहीं है और/या जो भारतीय मीडिया का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, चाहे उनके पास प.सू.का. का प्रत्यायन हो, वे सरकारी आवास प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे ।

10. संविदा आधार पर रखे गए सम्पादक/सम्पादक-सह-पत्रकार तथा फ्रीलान्स पत्रकार के साथ-साथ पत्रकार, चाहे उनके पास प्रत्यायन हो, प्रेस पूल से सरकारी आवास के आबंटन के लिए पात्र नहीं होंगे ।

11. आबंटी को एफ. आर. 45-ए के अन्तर्गत फ्लैट रेट पर लाइसेन्स फीस व मकान किराये भत्ते का भुगतान करना होगा, जिसे वह नियोक्ता से वसूल कर सकता है ।

12. आबंटित 100 यूनिट पूरे हो जाने पर शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के विवेकाधिकार कोटे से आवास आबंटन के लिए पत्रकार/प्रेस केमरामैन के किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा ।

****

(सम्पदा निदेशालय के दिनांक 15.6.2001 तथा 19.11.2001 के पत्र सं. 12034/18/94-नीति-3(पत्रकार) के द्वारा सम्प्रेनित दिशा निर्देश)